Amarnath Yatra to begin on June 23

Advance registration to start on April 1; online booking quota increased

TRIBUNE NEWS SERVICE

JAMMU, FEBRUARY 14

The annual pilgrimage to the holy Amarnath cave shrine of Lord Shiva, nestled in south Kashmir Himalayas, will begin on June 23 this year.

The duration of the yatra, which is the beginning on the auspicious day of Jagan Nath Rath Yatra as per the Hindu calendar, will be of 42 days and will conclude on Shravan Purnima (Raksha Bandhan) on August 3.

The yatra schedule and duration was decided at the 37th meeting of the Shri Amarnathji Shrine Board (SASB) under the chairmanship of Lieutenant-Governor (L-G) Girish Chandra Murmu here today at Raj Bhavan, Jammu.

Those present at the meeting included Rajeev Rai Bhatnagar, Adviser to the L-G, BVR Subrahmanyam, Chief Secretary and Members of the Board. Bipul Pathak, Chief Executive Officer (CEO) of the SASB, and other senior officials of the Shrine Board also attended the meeting. Regarding the duration and date of commencement of the Yatra 2020, based on the approach set out by the Sri Sri Ravi Shankar Committee, which had been set up to give advice regarding the duration and schedule of future yatras, the Board, keeping in view the concern of the safety and security of the pilgrims, decided that the 42-day yatra would commence on June 23.

The Board noted the steps taken by the CEO for the registration of pilgrims through 442 designated branches of Punjab National Bank, Jammu and Kashmir Bank and YES Bank, located in 32 states and UTs, and directed him to take all required steps to start the advance registration of pilgrims with effect from April 1.

Considering the success of the pilot project of online registration of limited number of intending yatris in 2019, the Board decided to increase the quota of the online registration. It directed the CEO to take timely steps for ensuring uninterrupted telecom connectivity in the yatra area.

ROUTES TO SHRINE

- Amarnath cave shrine situated in south Kashmir Himalayas at an altitude of 3,888m (12,756 feet).
- Devotees trek a distance of 46 km through icy streams and frozen mountain passes via Pahalgam to reach the holy cave shrine. The Baltal route is the shortest in which the devotees cover just 14 km distance.
- In August last year, the J&K government had stopped 46-day-long annual Amarnath Yatra mid-way for security reasons ahead of the revocation of Article 370 and the bifurcation of erstwhile J&K state into two UTs.
- A total of 3, 43,587 pilgrims had paid obeisance at the holy cave shrine last year.
- Administration generally faces two major challenges –security related issues in south Kashmir and smooth movement of yatra convoys on the landslide-prone Jammu-Srinagar highway.
- In 2017, a bus of Amarnath pilgrims was attacked in south Kashmir that left eight persons dead.

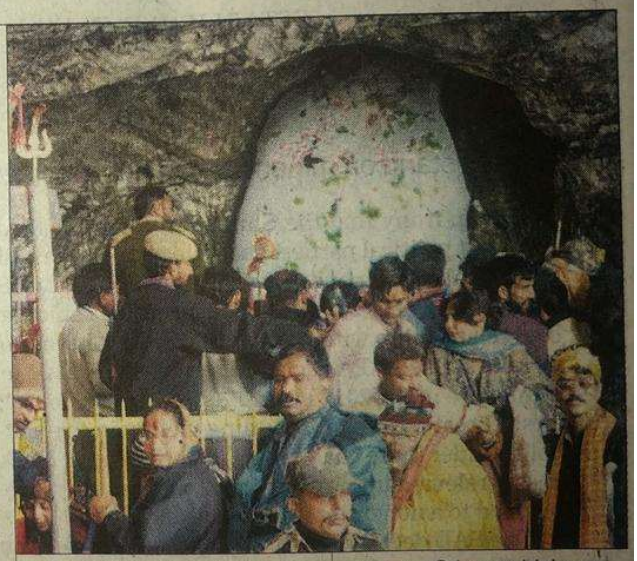

श्री अमरनाथ यात्रा

सबलो प्रतिनिधिमंडल ने उप-राज्यपाल के समक्ष उठाया 2008 भूमि हस्तांतरण का मुद्दा

उप-राज्यपाल जी.सी. मुर्मू से मुलाकात करते सबलो अध्यक्ष विजय ठाकुर, महासचिव राजन गुप्ता व अन्य पदाधिकारी।

उस समय भारी जन आंदोलन का कारण बना था सरकार का निर्णय

जम्मू, 15 फरवरी (बलराम): अमरनाथ यात्रा के दौरान भंडारे लगाने वाली संस्थाओं के संगठन सबलो (श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर्स आर्गेनाइजेशन) ने वर्ष 2008 में भारी विवाद का कारण बने जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल के उस निर्णय को लागू करने की मांग की है, जिसके तहत तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा यात्रा सुविधाओं के लिए 39.88 हैक्टेयर वन भूमि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई थी। अध्यक्ष विजय ठाकुर एवं महासचिव राजन गुप्ता के नेतृत्व में सबलो के प्रतिनिधिमंडल ने विगत दिनों मुलाकात कर कई अहम मांगों को श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एवं जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल जी.सी. मुर्मू के समक्ष उठाया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में सरकार के इस निर्णय को लेकर जम्मू क्षेत्र एवं कश्मीर घाटी में भारी आंदोलन हुआ था और सरकार द्वारा यह निर्णय लागू न करने पर जम्मू में 62 दिन तक जनआंदोलन चला था जिसमें कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी।

सबलो अध्यक्ष विजय ठाकुर व महासचिव राजन गुप्ता ने कहा कि 2008 में अलगाववादी संगठन हुर्रियत कांफ्रैंस के विरोध के चलते तत्कालीन मंत्रिमंडल द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सका था, लेकिन अनुच्छेद 370 के विवादित अंश एवं 35-ए हटने के बाद बदली परिस्थितियों में उप-राज्यपाल को इस निर्णय को लागू कर देना चाहिए।

बोर्ड को वन भूमि हस्तांतरित किए जाने से श्री अमरनाथ यात्रा क्षेत्र में शिवभक्तों के लिए स्थायी रात्रि विश्रामगृह, शौचालय, स्नानघर, चिकित्सा केंद्र निर्माण आदि ढांचागत विकास करने में आसानी होगी।

श्री अमरनाथ यात्रा

सबलो प्रतिनिधिमंडल ने उप-राज्यपाल के समक्ष उठाया 2008 भूमि हस्तांतरण का मुद्दा

उप-राज्यपाल जी.सी. मुर्मू से मुलाकात करते सबलो अध्यक्ष विजय ठाकुर, महासचिव राजन गुप्ता व अन्य पदाधिकारी।

उस समय भारी जन आंदोलन का कारण बना था सरकार का निर्णय

जम्मू, 15 फरवरी (बलराम): अमरनाथ यात्रा के दौरान भंडारे लगाने वाली संस्थाओं के संगठन सबलो (श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर्स आर्गेनाइजेशन) ने वर्ष 2008 में भारी विवाद का कारण बने जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल के उस निर्णय को लागू करने की मांग की है, जिसके तहत तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा यात्रा सुविधाओं के लिए 39.88 हैक्टेयर वन भूमि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई थी। अध्यक्ष विजय ठाकुर एवं महासचिव राजन गुप्ता के नेतृत्व में सबलो के प्रतिनिधिमंडल ने विगत दिनों मुलाकात कर कई अहम मांगों को श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एवं जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल जी.सी. मुर्मू के समक्ष उठाया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में सरकार के इस निर्णय को लेकर जम्मू क्षेत्र एवं कश्मीर घाटी में भारी आंदोलन हुआ था और सरकार द्वारा यह निर्णय लागू न करने पर जम्मू में 62 दिन तक जनआंदोलन चला था जिसमें कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी।

सबलो अध्यक्ष विजय ठाकुर व महासचिव राजन गुप्ता ने कहा कि 2008 में अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉफ्रैंस के विरोध के चलते तत्कालीन मंत्रिमंडल द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सका था, लेकिन अनुच्छेद 370 के विवादित अंश एवं 35-ए हटने के बाद बदली परिस्थितियों में उप-राज्यपाल को इस निर्णय को लागू कर देना चाहिए।

बोर्ड को वन भूमि हस्तांतरित किए जाने से श्री अमरनाथ यात्रा क्षेत्र में शिवभक्तों के लिए स्थायी रात्रि विश्रामगृह, शौचालय, स्नानघर, चिकित्सा केंद्र निर्माण आदि ढांचागत विकास करने में आसानी होगी।

दैनिक भास्कर
13-Feb-2020
होशियारपुर भास्कर Page 3

अमरनाथ यात्रा में भंडारे संबंधी परेशानियों का उपराज्यपाल से किया विचार-विमर्श

भास्कर संवाददाता | होशियारपुर

श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर आर्गेनाइजेशन (सबलो) के प्रतिनिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से राज्य भवन जम्मू में मुलाकात की और अमरनाथ यात्रा में भंडारे संबंधी परेशानियों व कई मुद्दों को उठाया। उक्त जानकारी जम्मू से मीटिंग कर आने के बाद सबलो के अध्यक्ष विजय ठाकुर, महासचिव राजन गुप्ता, अमर गोयल, विजय मेहरा, पंकज सोनी और त्रिलोक ओबराय ने दी। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों और पवित्र यात्रा के दौरान सेवा देने वाले भंडारा संगठनों, सेवादारों की सुरक्षा, तीर्थयात्रियों के लिए नाइट शैलटर्स, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्लाक रूम, भंडारे के लिए पर्याप्त सामग्रियों का भंडारण, यात्रियों के पंजीकरण के लिए अधिक से अधिक काउंटरों में वृद्धि और कई प्रक्रियाओं को सरल बनाने आदि विभिन्न मुद्दों पर उपराज्यपाल के साथ विचार किया गया। विजय ठाकुर व राजन गुप्ता ने बताया कि उपराज्यपाल के समक्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि को एक माह तक या 40 दिनों तक सीमित होनी चाहिए। एक महीने से अधिक समय तक अमरनाथ यात्रा अप्रत्याशित मौसम के कारण तीर्थयात्रियों के हित में नहीं है। जैसा कि वर्ष 2006, 2009 और 2010 के दौरान देखा गया है खराब मौसम के कारण तीर्थयात्री पवित्र गुफा में फंसे हुए थे और 2006 में प्रशासन को फंसे यात्रियों को बालटाल एयरलिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि यात्रा को 2009 में दो महीने के लिए घोषित किया गया था लेकिन बालटाल से यात्रा शुरू होने में एक सप्ताह से अधिक की देरी हुई। इसी तरह मार्गों में से बर्फ को हटाने के कार्य के कारण पहलगाम-चंदनवाड़ी मार्ग से लगभग तीन सप्ताह की देरी हुई।

जम्मू राजभवन में उपराज्यपाल से भेंट करते सबलो के पदाधिकारी।

पुलिस वेरीफिकेशन का भी उठाया मुद्दा

सबलो ने भंडारे के सेवादारों के पुलिस वेरीफिकेशन का मुद्दा भी उपराज्यपाल के समक्ष उठाया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में पुलिस वेरीफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन अब जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है, सबलो के पदाधिकारियों ने सुझाव दिया कि फोटो या पहचान पत्र, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड जैसे फोटो पहचान पत्र जमा करने पर ही सेवादारों को पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए तथा सेवादारों के संबंध में भंडारा के अध्यक्ष या महासचिव से पूछताछ की जानी चाहिए।

15:03 ··· 67%

उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित बनाने के लिए उठाया गया है। मंडलायुक्त कश्मीर बसीर अहमद खान ने उच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन व अन्य संस्थाओं को

के आवंटन संबंधी विभिन्न मुद्दों का संज्ञान ले उन पर उचित कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के भीतर- बाहर व अन्य जगहों पर जिनके बारे में जनहित याचिका में बताया गया है, कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।

अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन सौंपने की मांग

अमरनाथ यात्रा

- **श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन ने मुर्मू के समक्ष उठाया मुद्दा**
- **यात्रा अवधि 30 दिन करने और गुफा से ग्रिल हटाने की भी मांग**

राज्य ब्यूरो, जम्मू: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को जमीन सौंपने की मांग फिर उठाई गई है। इसके अलावा श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन ने श्री अमरनाथ यात्रा की अवधि घटाकर 30 दिन करने की मांग भी की है। इस संबंध में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मुलाकात की है। संगठन ने यह भी मांग की है कि पवित्र गुफा पर हिमलिंग के बाहर लगाई गई ग्रिल को हटाया जाए। साथ ही यात्रियों और हिमलिंग के बीच फासले को थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि कोई श्रद्धालु हिमलिंग पर कोई वस्तु चढ़ा न सके।

संगठन के प्रधान विजय ठाकुर और महासचिव राजन गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल से यह भी आग्रह किया कि वन विभाग की भूमि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को सौंपी जाए ताकि श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट चुका है। साल 2008 में मंत्रिमंडल ने वन विभाग की 39.88 हेक्टयर भूमि श्राइन बोर्ड को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों और अलगाववादियों के प्रदर्शन के बाद विवाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं के लिए जमीन फिर से बोर्ड को दी जाए। लंगर लगाने के लिए जमीन अलॉट की जाए और इस जमीन पर सब्सिडी दी जाए। इससे लंगर वाले स्थायी और अस्थायी ढांचे खड़े कर पाएं। इससे हर वर्ष होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू करने की तिथि 23 जून निर्धारित करने का वह स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार भारी बर्फबारी के कारण निर्धारित तिथि पर यात्रा करना काफी मुश्किल है। यात्रा की अवधि में कटौती की जाए। इस बार यात्रा 42 दिन की रखी गई है। उन्होंने चार लंगर संगठनों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस वापस लिए जाने के आश्वासन पर उपराज्यपाल का आभार जताया। पिछले वर्ष की यात्रा के दौरान चार लंगर संगठनों को यात्रा मार्ग पर लंगर लगाने को लेकर नोटिस दिए गए थे।

BARKHI

One year have passed since you left us for your eternal journey. Your memories are still fresh and we still feel your presence every where everytime.

4.	Bid submission Start
5.	Bid Submission End
7.	Date & time of openi
8.	Date & time of openi
1.	The Bidding docum conditions of contrac
2.	Bids must be accom tender fee was depc Executive Engineer
3.	The date and time o mail message on the Udhampur. The date

No:- 18882-86
Dated: 12-02-2020

OFFICE

Executiv behalf of Lt. Go and eligible cont work.

S. No	Name of
1	2
1	Repair / Ren Primary He Centre Bu Jindhra.(2nd Ti

Note:- The financial yea

1/ Date of I
2/ The Bid 11-02-20
3/ The Bid 11-02-20 18-02-20
4/ The resub of upl
5/ Technica (R&B) C
6/ Bid docu docume and othe
7/ The site

No :- 14961-75
Dated :- 11-02-2

अमरनाथ यात्रा : भंडारे के लिए 70 आवेदन श्राइन बोर्ड को दिए

सबलो के प्रतिनिधिमंडल ने एडीशनल सी.ई.ओ. से की मुलाकात

जम्मू, 25 फरवरी (कमल): श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर आर्गेनाइजेशन (सबलो) ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से वर्ष 2020 अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या में इजाफा करने की मांग की, ताकि अधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के लिए आ सकें।

अनूप सोनी को आवेदन देता सबलो का प्रतिनिधिमंडल। (सोहन)

सबलो के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनूप सोनी से श्राइन बोर्ड जम्मू कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में सचिव विजय मेहरा, पवन साबो (पवित्र गुफा), त्रिलोक ओबराय (शेषनाग कैम्प), हरीश ऋषि (को-आर्डिनेटर बालटाल-पवित्र गुफा मार्ग) और सबलो के संयुक्त सचिव पंकज सोनी शामिल थे।

सबलो के प्रतिनिधिमंडल ने सी.ई.ओ. को भंडारा लगाने की अनुमति के लिए 70 संस्थाओं की ओर से आवेदन दिए और सी.ई.ओ. से इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए भंडारा लगाने वालों हेतु चिकित्सा शिविरों व सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली की मांग उठाई।

प्रतिनिधिमंडल ने एडीशनल सी.ई.ओ. को भंडारा लगाने वाले एन.जी.ओ. की सुविधा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया है। सी.ई.ओ. ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद निकट भविष्य में अनुमति दी जाएगी।

श्री अमरनाथ यात्रा

सबलो प्रतिनिधिमंडल ने उप-राज्यपाल के समक्ष उठाया 2008 भूमि हस्तांतरण का मुद्दा

उस समय भारी जन आंदोलन का कारण बना था सरकार का निर्णय

श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एवं जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल जी.सी. मुर्मू से मुलाकात करते सबलो अध्यक्ष विजय ठाकुर, महासचिव राजन गुप्ता व अन्य पदाधिकारी।

जम्मू, 15 फरवरी (बलराम): अमरनाथ यात्रा के दौरान भंडारे लगाने वाली संस्थाओं के संगठन सबलो (श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर्स आर्गेनाइजेशन) ने वर्ष 2008 में भारी विवाद का कारण बने जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल के उस निर्णय को लागू करने की मांग की है, जिसके तहत तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा यात्रा सुविधाओं के लिए 39.88 हैक्टेयर वन भूमि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई थी। अध्यक्ष विजय ठाकुर एवं महासचिव राजन गुप्ता के नेतृत्व में सबलो के प्रतिनिधिमंडल ने विगत दिनों मुलाकात कर कई अहम मांगों को श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एवं जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल जी.सी. मुर्मू के समक्ष उठाया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में सरकार के इस निर्णय को लेकर जम्मू क्षेत्र एवं कश्मीर घाटी में भारी आंदोलन हुआ था और सरकार द्वारा यह निर्णय लागू न करने पर जम्मू में 62 दिन तक जनआंदोलन चला था जिसमें कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी।

सबलो अध्यक्ष विजय ठाकुर व महासचिव राजन गुप्ता ने कहा कि 2008 में अलगाववादी संगठन हुर्रियत कांफ्रैंस के विरोध के चलते तत्कालीन मंत्रिमंडल द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सका था, लेकिन अनुच्छेद 370 के विवादित अंश एवं 35-ए हटने के बाद बदली परिस्थितियों में उप-राज्यपाल को इस निर्णय को लागू कर देना चाहिए। बोर्ड को वन भूमि हस्तांतरित किए जाने से श्री अमरनाथ यात्रा क्षेत्र में शिवभक्तों के लिए स्थायी रात्रि विश्रामगृह, शौचालय, स्नानघर, चिकित्सा केंद्र निर्माण आदि ढांचागत विकास करने में आसानी होगी।

भंडारा संचालकों को दी जाए जमीन

सबलो के अध्यक्ष विजय ठाकुर एवं महासचिव राजन गुप्ता ने उप-राज्यपाल जी.सी. मुर्मू से श्री अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों एवं मार्ग शिविरों पर भंडारा संचालकों को जमीन अलॉट करने अथवा सबसिडाइज्ड रेट पर बेचने की मांग की, ताकि वे भंडारों का समुचित संचालन करने के लिए इस भूखंड पर अस्थायी या स्थायी निर्माण कर समय एवं धनराशि की बचत कर सकें। उनका कहना था कि जम्मू-कश्मीर में पहले अनुच्छेद 370 एवं 35-ए लागू होने के कारण ऐसा कर पाना संभव नहीं था, लेकिन अब इस मामले में कोई अड़चन नहीं है।

पवित्र गुफा से हटाई जाए ग्रिल

सबलो प्रतिनिधिमंडल ने उप-राज्यपाल से आग्रह किया कि यात्रा के दौरान पवित्र श्री अमरनाथ गुफा के सामने लगी ग्रिल हटा दी जानी चाहिए, ताकि शिवभक्त अच्छी तरह हिमशिवलिंग के रूप में शोभायमान बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। उनका कहना था कि मौसम और दुर्गम मार्ग की तमाम अड़चनों को पार करके जब श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा पहुंचते हैं तो ग्रिल लगी होने के कारण स्पष्ट तौर पर बाबा के दर्शन नहीं कर पाते और खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं।

30 दिन तक सीमित की जाए यात्रा

सबलो प्रतिनिधिमंडल ने उप-राज्यपाल से आग्रह किया कि श्री अमरनाथ यात्रा को 30 दिन तक सीमित कर देना चाहिए। विशेष तौर पर पहलगाम यात्रा मार्ग पर भारी बर्फबारी के कारण निर्धारित तिथि पर यात्रा शुरू होने में कठिनाई आती है। इसके अलावा सबलो प्रतिनिधिमंडल ने कुछ भंडारा संचालकों के खिलाफ बोर्ड द्वारा जारी आदेशों को भी वापस लेने की मांग की।

42 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन कोटा बढ़ाया

बाबा बर्फानी के लिए रजिस्ट्रेशन एक से

23 जून से यात्रा की होगी शुरुआत

तीन अगस्त को समापन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ स्थित बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए इस बार 23 जून, 20 से यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं, एक अप्रेल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। श्राइन बोर्ड के मुताबिक यात्रा 42 दिनों तक चलेगी तथा 3 अगस्त को इसका समापन होगा।

प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध

यात्रा में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। जयपुर से बालटाल में भंडारा लगाने वाले पंकज सोनी ने बताया कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पहलगाम मार्ग से और बालटाल मार्ग से भी करवा सकते हैं। दोनों मार्गों से ऑनलाइन आवेदन करने वाले 4000 यात्रियों का कोटा बढ़ाया गया है।

श्राइन बोर्ड के मुख्य प्रवर्तक अधिकारी विपुल पाठक ने बताया कि कोरोना वायरस की आशंका के चलते यात्रा के आधार शिविर भगवती नगर स्थित यात्री निवास को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। साथ ही यहां अलग स्टाफ भी तैनात किया है। वहीं, इस बार बिना मेडिकल फिटनेस और मेडिकल सर्टिफिकेट के कोई भी यात्री यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगा।

शहर में विभिन्न स्थानों से करीब 10 हजार से ज्यादा भक्त बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना होंगे। फिलहाल बैंकों द्वारा रजिस्ट्रेशन की तारीख तय नहीं हो पाई है। 13 से 75 साल तक के लोग यात्रा के लिए पात्र होंगे। वहीं, छह सप्ताह से अधिक अवधि की गर्भवती महिलाओं के लिए यात्रा वर्जित रहेगी।